

121/1912



भारत प्रदेश UTTAR PRADESH

15 29



हस्ताक्षर दूर (श्री/मान्य) (1)

हम कि भारत भूषण राय पुत्र रत्न कन्दिका राय, राज्य द संघ कक्षा उपर- मह द
 किया राय पत्नी श्री भारत भूषण राय, राज्य द संघ कक्षा उपर- मह इन द
 संस्थापक दूर है जो दिनेक 11/12/1912 के अधिनियम के अन्तर्गत है। इन के
 दूर राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रिय एवं सामाजिक सेवा दिनेक मुख्य कार्य से सम्बन्धित, पर्यावरण
 व्यापक एवं धर्म मुक्त, वैश्विक जीवनकला, शिक्षा, स्वास्थ्य मुक्त, स्वास्थ्य शिक्षा, मन
 उत्थान एवं अन्य विविध जति, अनुसूचित जति द अनुसूचित जनजाति के लोगों का
 कामे में विशेष रुचि रखने के कारण इन दूर की स्थापना करते हैं। इन राज्य नृप
 संस्थापक दूर प्रथम/मुख्य दूर व श्रीमती दीरा राय महासचिव संस्थापक दूर
 नियुक्त करते हुए जगदीश जगदीश चंदिका सेवा दूर की स्थापना करते हैं। इन दूर
 का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न दिनेक उद्देश्यों के अन्तर्गत की द
 दूर का नाम, पत निम्नवत है।

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 299158

(2)

ट्रस्ट (न्यास) का नाम -	जगदीश जगदीप चंदीका सेवा ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता -	ग्राम- कसारा
	पोस्ट- कसारा
	थाना- कोपागंज
	परगना- घोसी
	तहसील- सदर
	जनपद- मऊ

मुख्यालय- पंजीकृत कार्यालय ग्राम- कसारा, पोस्ट- कसारा, जनपद- मऊ (उ० प्र०)
आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

- 1) श्री भारत भूषण राय पुत्र श्री जगदीश राय ग्राम- कसारा पोस्ट- कसारा जनपद- मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
- 2) श्रीमती दीपा राय पत्नी श्री भारत भूषण राय ग्राम- कसारा पोस्ट- कसारा, जनपद- मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)
- 3) श्री आनन्द कुमार राय पुत्र श्री विनोद राय ग्राम- कसारा पोस्ट- कसारा, जनपद- मऊ (सदस्य)
- 4) श्री दिपक राय पुत्र श्री राम नारायण राय ग्राम- कसारा पोस्ट- कसारा, जनपद- मऊ (सदस्य)

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 142444

(3)

5) श्री कुसाग्र राय पुत्र विजय प्रकाश राय , ग्राम- भदसा, पोस्ट- कोपागंज, जनपद- मऊ (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम-

जगदीश जगदीप चंद्रीका सेवा ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता -

ग्राम व पोस्ट- कसारा जपनद- मऊ

ट्रस्ट का मुख्यालय-

ग्राम व पोस्ट- कसारा जपनद- मऊ

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-

सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य निम्न-निम्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न

Signature



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230521

(4)

खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कूचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी प्रामोद्योग द्वारा घलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्ध आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी०टी०सी०, बी०एच०, बी०पी०एच०, टेक्निकल कालेज, सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० के स्कूलों की स्थापना करना। उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आयासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश-विदेश से धंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थाएँ खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा- आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक,

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230522

(5)

उपनीची, प्राथमिक, विद्वत्तीय, संस्थानें अदि को ट्रस्ट (न्याय) में दिवने (समर्पित) करन एव इनको ट्रस्ट के नियन्त्रण संयोजन करन। एतदीया, एतदीया, मेला, दान, व्यावसायिक एवं वार्तिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करन। अन्न, मंदिर व मठों की स्थापना व उनका संयोजन करन। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु धन्य एवं सहेन प्रवृत्त करन। जनसंख्या नियंत्रण, एतद्विषयक एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामाजिक सुरक्षा, बुद्धि, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं का समय समन से सहयोग करन एवं उनका क्रियान्वयन करन। अन्य सामाजिक पूर्ण (समिष्ट वित्तियुक्त ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करन। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मृद-उद्योग, लघु प्रसंस्करण, नदी उद्यान, अनुसंधान छात्र, अनुसंधान उद्योग, निरुद्धे र्ण का उद्यान, व्यायाम निधि, कानून एवं व्यवस्था का विकास, सौकरिकरण का विकास, औद्योगिक संयोजन/सेन्ट्र, नागरिक उद्योग, सहायता, ऊर्जा, शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विद्वत्तर शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, अद्यतन एवं सहाय निर्योजन, मन्त्र विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, लघु, वर्ण्य कार्य, लोक निर्माण, सिंचन, प्राचीन अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं विद्वत्ता, अनुसंधान एवं औद्योगिक विद्वत्ता, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, छात्र एवं सहाय, मन्त्रिकरण, दान विकास एवं पुष्पाकार, वन, मूल्य एवं वित्तियुक्त, संस्कृत, दुग्ध कल्याण, छात्र एवं प्रारंभिक, भूमि विकास, जल संयोजन, पाटी भूमि विकास, उद्यान, पर्यटन, लघु उद्योग, व्यवसाय, वन उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मन्य, विकासंग कल्याण, पंचायती राज, आरक्षण, प्राचीन संयोजन एवं मन्त्रिक उद्योग, नागरिक बुद्धि, न्याय एवं विद्या संस्था, निर्योजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, वित्तियुक्त, मुद्रण एवं सहेन, भूमि विकास एवं जल संयोजन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्वकार, सामान्य सामाजिक उद्योग, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विज्ञान, निर्वात प्रोत्साहन, पुष्पाकार, प्रीतिजन एवं संयोजन, प्राचीन उद्यान, एतद्विषय, गंगा-यमुना अदि सौकरिकरण, अपवा उद्योग, मन्त्रिक एवं सहेन, सहायता समिष्टीय, सहायता एवं वैयक्तिक शिक्षा, सैनिक

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230523

(6)

कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपनोक्ता हेतु संस्थान, भूमि सुधार, बन्धन, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयक अधिनियम 1981 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

ट्रस्ट का कार्यकाल- ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, यह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने के दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।
ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता- विद्यापीठ सेवा ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता- ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 5 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व सहमति से 51,000.00 रुपये (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित हों



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230524

(7)

एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से रु० 51,000.00 (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य—

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम —

- 1- संसूक्त ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
- 2- मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
- 3- संस्था के साधारण समा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 4- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।
- 5- आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- 7- ट्रस्ट (न्यास) बाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230525

(8)

- 8- मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।
- 9- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
- 10- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किराी अन्य न्यास या कॉर्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।
- 11- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 12- संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 13- किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
- 14- ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- 15- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230526

(9)

किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनीती दी जा सकेगी।

- 16- ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबल कार्यों में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-

- 1- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2- बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा-निर्देश देना।
- 4- नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।
- 5- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
- 7- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

Signature

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230527

सदस्य ट्रस्टी-

(10)

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के हितों में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वयंसेवक भाव से सहयोग प्रदान करना।
ट्रस्ट (न्यास) के अंग-

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

- 1- साधारण सभा
- 2- प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)-साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 51,000.00 रु संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

बैठक-

- 1- साधारण बैठक- ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।
 - 2- विशेष बैठक- दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।
- सूचना अधि- साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

Signature

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



समर्पित जगती

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230528

(II)

गणपूर्ति- बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होगा आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य- साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(घ) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन- साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। समिती में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कात्कारीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था को प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230529

(12)

बैठक-

सामान्य- सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष- विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मौग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अधि- साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण भागी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति- यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 51,000.00 रुपये नगद या उतारने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

Sharma



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230530

(13)

- प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य—** प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।
- बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
 - 1- ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
 - 2- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
 - 4- आय-व्यय का ध्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

31. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—

समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

32- ट्रस्ट (न्यास) के कोष—

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/काकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

[Handwritten signature]



क्र.मो. 2768 बी.एच. 100/- एच.ए. 2756

05.07.17
सज्जद प्रसाद राय (सदस्य विवेका)
सा.मं. 100, स.म. 9-सदर, म.क.



महाराष्ट्र

Registration No. : 131

Year : 2017

Book No. : 4

W1 समसाम

मिल्लर राजपुत

कनारा तहसील-सदर जनपद-म.क.

कृषि



W2 समसाम

मिल्लर राजपुत

कनारा तहसील-सदर जनपद-म.क.

कृषि



क्र.मांक 2769 बीएस 1001-ए.नं.2756

11/11/17 05.09.17
छवेद एतद एव स्थान विज्ञता)
सं०-100, तह-सदर, मऊ

13/11/2018

न्यासी

Registration No.: 131

Year: 2,017

Book No.: 4

0101 भारत भूषण राय
सदर एव
सदर एव-सदर एव-सदर-मऊ
द्वि



भारत भूषण राय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230532

(15)

28ए- हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29बी-संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी-केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं सामान्यित करना आदि। संस्था अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकारी/गैर सरकारी बैंकों से लेन-देन (ऋण) आदि ले सकती है।

28डी-आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

Signature

भारतीय नैऋत्योयिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 230533

दिनांक 11/8/2017

मामल पता एवं दस्तावेज संख्या:

1) श्री रामराज पुत्र श्री चित्तराय राय व पोरत- कसारा जनपद- मऊ

2) श्री रामचरणीय राय पुत्र एक रणजीत राय- कसारा जनपद- मऊ

[Signature]

मसौदा करी - कुल्लु बाला- श्री
राष्ट्रपति - एडवोकेट
- ओमप्रकाश उपाध्याय



शमशाय पु० ए० चित्तराय राय व पोरत- कसारा त० संदर- मऊ 95-98454487

शमशरसिराम पु० ए० रणजीत राय
प्रा० पो० कसारा त० संदर मऊ
7860556100

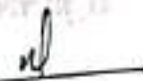
क्रमांक 2271 बीएल 100-211-नं. 2756

05.08.17
रविन्द्र प्रसाद राय (स्टाम्प विक्रेता)
ला०-100, तह०-सदर, मऊ



आज दिनांक 11/10/2017 को
यही सं. 4 जिल्द सं. 53
पृष्ठ सं. 383 से 422 पर क्रमांक 131
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


नन्द लाल

उप निबन्धक सदर

मऊ

11/10/2017

